Bihar Administrative Service Association

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No. ....34.......... Date ..23-07-2023..

दिनांक–23.07.2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार ।

2. सर्वसम्मति से गत बैठक की समपुष्टि की गई ।

3. बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री शशि शेखर आज की बैठक में अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके है, इसलिए महासचिव, बासा, सुनील कुमार तिवारी द्वारा आय–व्यय का मदवार लेखा कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया। महासचिव द्वारा दिनांक–31.03.23 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार मदवार लेखा का स्थिति प्रस्तुत किया जो निम्नवत है :–

Financial Year- 2022-2023						
Report	**Building**	**Cultural**	**Legal**	**Genral**	**Welfare**	**Total**
Balance on 01/04/2022	677097.59	453372.9	150194.1	1120051.08	2100162	**4500877.73**
Total Receipt	1600450	373160	1064013	614770	208100	**3860492.54**
Interest	21293	14489	14262	12095	52931	**115070.00**
Expenditure	1192395.35	264548	18113.28	1583725	500000	**3558781.63**
Balance on 31/03/2023	**1106445.24**	**576473.9**	**1210355**	**163191.08**	**1861193**	**4917658.64**

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna- 800001
Website : basabihar.org, E-mail Id: basassociationbihar@gmail.com

कल्याण मद

कल्याण मद में वित्तीय वर्ष 2022–2023 (01.04.2022 से 31.03.2022) में दो मृत सदस्य स्व0 सत्यप्रकाश मिश्र एवं स्व0 विवेक कुमार को ₹2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रु0) की दर से कुल ₹5,00000/–(पाँच लाख रुपये) तथा वित्तीय वर्ष 2023–2024 में आज दिनांक–23.07.2023 तक दो मृत सदस्य स्व0 जीतेन्द्र प्रसाद एवं स्व0 अर्जून प्रताप चन्द्रा को ₹2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रु0) की दर से कुल ₹5,00000/–(पाँच लाख रुपये) की राशि अनुग्रह अनुदाान के रुप में दिया गया है।

महासचिव, बासा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 190 सदस्यों से Mandate एवं तीन सदस्यों से अन्य माध्यमों से कल्याण मद में सहयोग के रुप में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹2,08,000/–(दो लाख आठ हजार रु0) की राशि प्राप्त हुई है। उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2022–2023 में दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदाान से भी आधे से कम है। कल्याण मद में इतनी कम राशि प्राप्त होने पर उस्थित सदस्यों ने चिंता व्यक्त किया। कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से कल्याण मद में हुए आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

सामान्य मद

सामान्य मद में राशि केवल Mandate के माध्यम से प्रति माह लगभग 190 सदस्यों से मासिक सहयोग से प्राप्त होता है जो सेवानिवृति के कारण निरंतर धट रहा है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹5,32,800/–(पॉच लाख बतीस हजार आठ सौ रुपये) राशि सदस्यों के प्राप्त हुई है।

सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹15,83,725/- (पन्द्रह लाख तीरासी हजार सात सौ पच्चीस रुपये) व्यय प्रतिवेदित है परन्तु इस मद में वास्तविक व्यय बहुत कम है। दिनांक–22.05.2022 को हुए आम सभा में डेकोरेशन, नास्ता, खाना, प्रतिवेन छपाई, फोल्डर, ऑन लाईन वोटिंग सिस्टम तथा चार्टर एकाउंटेंट इत्यादि को मिलाकर कुल ₹3,62,438/- (तीन लाख बासठ हजार चार सौ अठतीस रुपये) का व्यय मात्र ही वास्तविक है। सामान्य मद में शेष व्यय राशि सांस्कृतिक मद के क्रिकेट मैच के प्रयोजकों की राशि इस खाता में आने पर Book Transfer, पूर्व निर्णयानुसार 40% राशि विधि मद तथा 10% राशि सांस्कृतिक मद में Book Transfer तथा मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के निबंध को रद्द

किए जाने के पश्चात समिति के निर्णय के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या–CWJC-1899/2023 में किया गया है। चूकि विधि मद के बैंक खाते का चेक उपलब्ध नहीं था इसलिए आपात स्थिति में सामान्य मद से वरीय अधिवक्ता श्री वाई0 वी0 गिरि को फीस मद में ₹5,40,000/– (पॉच लाख चालीस हजार रुपये) की राशि इस खाते से दी गई। सर्वसम्मति से सामान्य मद में हुए आय–व्यय का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

विधि मद

महासचिव, बासा द्वारा बताया गया कि पूर्व निर्णय के आलोक में विधि मद में एसोसिएशन के सामान्य मद में प्राप्त कुल राशि का 40% राशि अंतरण के पश्चात ही केवल प्राप्त होता था परन्तु मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा दिनांक 28.01.2023 को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के निबंध को रद्द किए जाने के पश्चात समिति के निर्णयानुसार एसोसिएशन के माननीय सदस्यों से सहयोग हेतु अह्वान किया गया, तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹ 688500/– (छः लाख अठ्ठासी हजार पॉच सौ रुपये) तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक–23.07.2023 तक कुल ₹ 1,20,500/– (एक लाख बीस हजार पॉच सौ रुपये) की राशि सदस्यों से विधि मद में प्राप्त हुई है।

विधि मद में वास्तविक व्यय ज्यादा होते हुए बहुत कम प्रतिवेदित है। चूकि विधि मद के बैंक खाते का चेक प्राप्त नही था तथा अचानक माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या–CWJC-1899/2023 में अधिवक्ता फीस मद में राशि देना था अतएव अपात स्थिति में सामान्य मद से वरीय अधिवक्ता श्री वाई0 वी0 गिरि को फीस मद में ₹5,40,000/–(पॉच लाख चालीस हजार रुपये) की राशि चेक से तथा ₹1,16,500/–(पॉच लाख चालीस हजार रुपये) नगद राशि भवन मद से अधिवक्ता को दी गई है।

विधि मद में प्राप्त राशि से ₹20,000/–(बीस हजार रुपये) की नगद राशि CWJC-1899/2023 में अधिवक्ता श्री प्रणव कुमार तथा ₹18,000/–(अठारह हजार रुपये) अन्य वाद में अधिवक्ता श्री अभय शंकर सिंह को दी गई है। अभी तक माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दायर वाद संख्या–CWJC-1899/2023 में कुल–₹7,94,000/–(सात लाख चौरन्बे हजार रुपये) की राशि व्यय हुआ है।

सर्वसम्मति से विधि मद में हुए आय–व्यय का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय हुआ कि विधि मद में बैंक चेक बुक प्राप्त होने तथा सदस्यों से पर्याप्त चंदा प्राप्त हो गया है। सामान्य मद तथा भवन मद से ली गई राशि को Book Transfer कर संबंधित खाते में

हस्तांतरित कर दिया जाय। कार्यकारिणी द्वारा सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भविष्य में यदि विधि मद में राशि की आवश्यकता पड़े तो अध्यक्ष एवं महाचचिव सदस्यों से आह्वान करेगें तथा ऐसी माँग/आह्वान पर सभी सदस्य यथोचित सहयोग करेगें।

सांस्कृतिक मद

महासचिव द्वारा बताया गया कि सांस्कृतिक मद में सामान्य मद में प्राप्त कुल राशि का 10% राशि अंतरण के पश्चात ही सांस्कृतिक मद में राशि प्राप्त होती है। साथ ही जिला ईकाई इकाई से सहयोग तथा विभिन्न बैंकों या एजेंसियों से Sponsorship के तहत एसोसिएशन को राशि प्राप्त होता है । वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगभग कुल ₹3,36,000/–(तीन लाख छतीस हजार रुपये) राशि विभिन्न Sponsorship के प्राप्त हुआ है।

सांस्कृतिक मद से बासा क्लब, एसोसिएशन की पत्रिका "प्रशासन" के प्रकाशन, सेवानिवृत सदस्यों का विदाई समारोह, नये सदस्यों का स्वागत समारोह, विभिन्न तिथियों पर आयोजन एवं बासा में खेल भावना बढाने इत्यादि पर राशि खर्च किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में दो आलमारी क्रय करने पर ₹31,600/–(एक्कतीस हजार छः सै रुपये) एसोसिएशन की पत्रिका छपाई पर ₹90,000/–(नब्बे हजार रुपये) टी0टी0 टेबुल के सेटिंग इत्यादि पर ₹7000/–(सात हजार रुपये) क्रिकेट मैच आयोजन पर लगभग ₹1,36,000/–(एक लाख छत्तीस हजार रुपये) कुल– ₹2,65,000/–(दो लाख पैसठ हजार रुपये) राशि खर्च हुई है।

एसोसिएशन के कुछ सदस्यों द्वारा अक्सर Whatsapp यह मुद्दा उठाया जाता है कि बासा के मुख्यालय के बाहर के कुछ सदस्यों को यह संदेह होता है कि उनके सहयोग राशि को मुख्यालय में क्रिकेट मैच जैसे आयोजन कर राशि का अपव्यय किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि सदस्यों का यह संदेह बिल्कुल गलत एवं निराधार है। क्रिकेट मैच एवं एसोसिएशन के अन्य आयोजनों में एसोसिएशन के खाते से कोई राशि खर्च नहीं होता है, अपितु एसोसिएशन के कोष में आमदनी होता है। विभिन्न बैंकों तथा एजेंसियों द्वारा Sponsorship के तहत एसोसिएशन को राशि दी जाती है जिसमें खर्च के बाद जो राशि बचती है वह एसोसिएशन के कोष में ही रहता है । इससे एसोसिएशन का कोष बढ़ता है न की घटता है। समिति के उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से सांस्कृतिक मद में हुए आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

भवन मद

भवन मद में एसोसिएशन को भवन निर्माण का चंदा, सदस्यो के विश्राम गृह में आवासन तथा विभिन्न आयोजनों के बुकिंग से राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भवन निर्माण में सहयोग से ₹44,000/–(चौवालीस हजार रुपये), विश्राम गृह से ₹7,95,400/–(सात लाख पंचानब्बे हजार चार सौ रुपये) तथा विभिन्न आयोजनों के बुकिंग से ₹6,84,400/–(छः लाख चौरासि हजार चार सौ रुपये) सूद एवं अन्य से लगभग ₹25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) उक्त मद में लगभग कुल ₹15,50,000/–(पन्द्रह लाख पचास हजार रुपये) राशि प्राप्त है। करोना काल में बुकिंग नहीं होने से उक्त मद में असहज स्थिति बनी थी परन्तु वर्तमान में उक्त मद में पर्याप्त राशि है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त मद में कुल– ₹11,92,395/–(ग्यारह लाख बानबे हजार तीन सौ पंचानबे रुपये) राशि खर्च हुई है। जिसमें ₹2,94,348/–(दो लाख चौरानबे हजार तीन सौ अडतालीस रुपये) बासा भवन के रंग–रोगन तथा ₹8,98,047/–(आठ लाख अंठानब्बे हजार सैतालिस रुपये) बासा भवन के कर्मियों के मानदेय तथा प्रत्येक माह बासा भवन के रख रखाव पर व्यय किया गया है। इसे छोड़कर अन्य कोई राशि इस मद से खर्च नहीं की गई है। उपस्थित सदस्यों ने बासा भवन का बेहतर रख रखाव कर तथा उक्त मद में और राशि प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने सुझाव दिया गया। समिति के उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से भवन मद में हुए आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

4. महासचिव द्वारा, विस्तृत रुप से बासा के आय–व्यय के स्त्रोतों की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि एसोसिएशन के निर्णयानुसार सदस्यों की सुविधायों को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक नियोजन भवन से समझौता कर Mandate System लागु कराया गया था। जिसमें प्रत्येक माह सदस्यों के बैंक खाते से 100 रु0 की राशि कल्याण कोष के बैंक खाता संख्या–039088534465 तथा 200 रु0 की राशि सामान्य कोष के बैंक संख्या–0309088535786 में सीधे जमा कराने का प्रावधान किया गया। शुरु में इसका Response अच्छा रहा रहा। में लगभग 210 के आस–पास लोगों ने Mendate दिया। परन्तु आज की तिथि में सेवानिवृति के बाद 175 के लगभग सदस्यों से ही Mandate से राशि प्राप्त हो रही है। लगभग 1100 Strength वाले कैडर में मात्र 175 व्यक्तियों से Mandate से राशि प्राप्त होना दुःखद है।

उपस्थित सदस्यों द्वारा इसपर दुःख व्यक्त किया गया तथा Mandate बढाने पर जोर दिया गया।

5. पूर्व महासचिव श्री अनिल कुमार द्वारा एसोसिएशन के निरंतर प्रयास के बावजूद सदस्यों से Mandate प्राप्त नहीं होने पर अफ़सोस जाहिर किया। उनके द्वार सुझाव दिया गया कि कार्यकारिणी में सदस्य तथा वरीय लोग अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें ताकि अधिक से अधिक Mandate प्राप्त हो जिससे एसोसिएशन की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके।

उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि स्थिति मजबुत होगी तो एसोसिएशन के सदस्यों के विपरीत समय में उन्हे किसी भी प्रकार का सहयोग तथा उनके Case के साथ–साथ बासा के सार्वजनिक Case भी Take up किया जा सकता है। साथ ही मृत अनुदान की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। श्री कुमार ने वित्तीय स्थिति सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव दिया कि ऐसे कई पदाधिकारी है जो सेवा में रहते हुए एसोसिएशन को कोई सहयोग नहीं दिया जाता है तथा साथ ही बासा भवन का सबसे ज्यादा उपयोग वे ही करते है। उन्होंने सुझाव दिया की वैसे सदस्य जिन्होंने एसोसिएशन को कोई सहयोग नहीं किया है वे सेवा में हो या सेवानिवृति उन्हें बासा भवन के उपयोग पर अन्य सदस्यों की तरह 11,000 रु0 की राशि नहीं लेकर उनसे ज्यादा राशि वसूल की जाय। उनसे पूर्व वार्षिक सहयोग राशि वसूल कर ही कोई सुविधा दी जाय। जिन सदस्यों द्वारा सहयोग राशि नहीं दिया जाता उन्हे बासा भवन का आवंटन नहीं किया जाय। कई सदस्यों द्वारा एसोसिएशन में कोई सहयोग नहीं दिया फिर भी उन्हें Exgratia देना पडता है ऐसे में एसोसिएशन पर वित्तीय भार पड़ता है। इन चीजों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. पूर्व महासचिव एवं अन्य व्यक्तियों के सुझाव पर अध्यक्ष, बासा द्वारा एसोसिएशन के वित्तीय सुदृढीकरण करने के लिए कुछ कठोर Steps उठाने की चर्चा की गई तथा जिन सदस्यों द्वारा संघ को Mandate या सीधे कोई सहयोग नहीं दिया जाता है उन्हें किसी भी प्रयोजन के लिए भवन का आवंटन, चिकित्सा अनुदान एवं मृत अनुदान जैसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। हतोत्साहन एवं प्रोत्साहन नीति (Reward and Punishment Theory) के तहत ही सहयोग राशि को बढ़ाया जा सकता है। जिसका उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय द्वारा इस हेतु एक समय सीमा निर्धारित करने का भी समिति से अनुरोध किया गया।

7. श्री विकास कुमार संयुक्त सचिव, बासा द्वारा पक्ष रखते हुए पूर्व महासचिव एवं अध्यक्ष महोदय के बातो का समर्थन किया तथा कहा कि सुदृढीकरण के पश्चात ही एसोसिएशन गंभीर मामलों में आगे की लड़ाई जीती जा सकता है। दोनों के सुझावों पर अमल होना चाहिए।

8. उपस्थित सदस्य श्री जगदीश कुमार 42 वीं बैच द्वारा पूर्व सुझाव जिसमें सदस्यों से ज्यादा राशि वसूली करने का प्रस्ताव को उचित नहीं बताया इससे सेवानिवृत/वर्तमान सदस्यों में एसोसिएशन के प्रति संवेदना घटेगी। उन्हें सुझाव दिया की जिन्होंने पूर्व में कोई राशि नहीं दी है उन्हें कुछ टोकन राशि ज्यादा लेकर उन्हें भवन आरक्षित जरुर किया जाय।

9. वरीय सदस्य श्री नवीन 38वीं बैच द्वारा यह बात समिति के समक्ष रखा गया कि सदस्यों के बीच सहयोग राशि को लेकर कुछ गलतफ़हमी भी है। सदस्यों का मानना है कि सहयोग Mandate से ही दिया जा सकता है, इसे दूर करना होगा कि कोई भी सदस्य जो Mandate से राशि नहीं देना चाहता है वह एक मुस्त नगद राशि सीधे कल्याण/सामान्य मद के खाते में जमा कर सकता है इसमें कोई वंदिश नहीं है।

दूसरा संघ द्वारा कोई ऐसा Software विकसित किया जाना चाहिए जिससे सदस्यों को सहयोग राशि देने में कोई असुविधा नहीं हो तथा वह सहयोग राशि सीधी Net Banking/ Paytm/UPI या अन्य माध्यमों से सीधे एसोसिएशन के खाते में जमा कर सके। इससे सदस्यो को सुविधा के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोग राशि भी प्राप्त होगी।

10. कार्यकारिणी समिति ने श्री नवीन के सुझाव की प्रशंसा की गई। महासचिव, बासा द्वारा सुझाव पर इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में कार्य प्रगति पर है। Software के क्षेत्र में दो काम किये जा रहे है। पहला सदस्यों के लिए विश्राम गृह का आरक्षण (Building Reservation) तथा विभिन्न समारोह के लिए आरक्षण इसके लिए एक Software बनाया गया है। जिससे कोई भी सदस्य जिन्हें कमरा या हॉल का व्यक्तिगत या समारोह एवं अन्य प्रयोजन हेतु बुकिंग करानी है वे बासा भवन के Sight पर जाकर Booking Status देखते एक Form fill up करते हुए बुकिंग करेंगे। अनुरोध प्राप्त होने पर Admin से Approval मिलने पर राशि जमा होगी तत्पश्चात आरक्षण conform हो जायेगा।

दूसरा एसोसिएशन के सभी खातों में S.B.I Collect की सुविधा ली जा रही हैं जहॉ इस तकनीकी Software में सदस्य बासा Websight http://www.basabihar.org पर जाकर Online Service में Link Click कर या sbi Collect में जाकर Charitable Institutions में जाकर

State चयन कर अपना नाम, बैच तथा कोटि क्रमांक इत्यादि डालते हुए जिस मद में सहयोग राशि जमा करना चाहे वे सीधे Net Banking/ATM/Paytm/UPI एवं अन्य कई माध्यमों से सीधे एसोसिएशन के खातें में राशि जमा कर सकते है तथा पावती प्राप्त कर सकते है। इसके लिए भी कार्य प्रगति पर है।

महासचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों को इसकी जानकारी दिये जाने के बाद सदस्य श्री नवीन द्वारा सुझाव दिया गया कि इन विकसित Software को 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के दिन के शुभ अवसर पर क्यों नही लंच किया जाय। इसपर समिति द्वारा सहमति दी गई।

11. कार्यकारणी द्वारा सर्वसम्मति से बासा के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु निम्न निर्णय लिए गएः—

(I) ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को Mandate से जोडा जाय। सभी वरीय सदस्य इसके लिए प्रयास करे।

(II) वर्तमान/सेवानिवृत वैसे सदस्य जिनके द्वारा सेवा काल में सहयोग/वार्षिक चंदा नहीं दिया गया है। उन्हें भवन आरक्षण में Token Amount बढाकर लिया जाय तथा यह राशि कितनी हो यह अध्यक्ष एवं महासचिव निर्णय कर अगली बैठक में रखेगें।

(III) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बासा के आधे सदस्य एसोसिएशन को अभी भी सहयोग राशि नहीं दे रहे है। अतः हतोत्साहन एवं प्रोत्साहन नीति (Reward and Punishment Theory) के तहत वैसे सदस्य जिसके द्वारा एसोसिएशन को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है उन्हे कमरा आरक्षण, समारोह हेतु भवन आरक्षण, चिकित्सा अनुदान तथा मृत्यु अनुदान (Exgratia) इत्यादि का भुगतान नहीं दिया जायेगा।

(IV) कार्यकारिणी समिति में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जो सदस्य एसोसिएशन को नियमित सहयोग करेगें वे एसोसिएशन के Active Member तथा जो सदस्य दो साल या ज्यादा समय से नियमित सहयोग नहीं करेंगें वे Dormant Member होंगे। Dormant Member को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

कार्यकारिणी समिति द्वारा इसे सर्व सम्मति से पारित किया तथा यह व्यवस्था 1 जनवरी 2024 से लागु करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

12. बासा के निबंधन रद्द किये जाने संबंधित वाद पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष, बासा द्वारा बताया गया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निबंधन रद्द किये जाने के पश्चात कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार CWJC-1899/2023 दायर किया गया है। अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा तीन अंतरिम आदेश दिए गए है। वाद में दिनांक–11.07.2023 को तिथि निर्धारित थी पर Case take up नहीं हुआ।

दायर वाद में हुए Devlopment की जानकारी देते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया की निबंधन रद्द किये जाने के बाद अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना से बासा के जमीन के लीज (Lease) को अवैध कराने तथा बासा भवन को जब्त करने हेतु बहुत दबाब बनाया गया। सदस्यों के सहयोग एवं प्रयास तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेश से स्थिति सामान्य बनी रही। एसोसिएशन के भोजपुर जिला इकाई के अध्यक्ष तथा संघ के महासचिव के विरुद्ध श्री के. के. पाठक, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनपर कार्रवाई हेतु भरपुर प्रयास किया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश तथा मुख्य सचिव, बिहार से पत्राचार के बाद वस्तुस्थिति सामान्य हो पाई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा महासचिव श्री सुनील कुमार तिवारी को एसोसिएशन के अस्मिता की रक्षा हेतु कठोर निर्णय लेने तथा विपरीत परिस्थिति में भी अपनी नौकरी को दाव पर लगाकर जिस धौर्य एवं साहस का परिचय दिया कबिले तारीफ़ है । साथ ही एसोसिएशन के पूर्व महासचिव श्री अनिल कुमार द्वारा इस कठिन समय में जिस प्रकार विधिक सलाह तथा लगातार अपना समय दिया गया वह सराहनीय है। इन सभी का परिणम है कि आज एसोसिएशन पर कोई आंच नही आने दिया गया। इस कृत के लिए हम सभी अभारी है।

CWJC-1899/2023 अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है अभी तक लगभग 8 लाख रुपये इसमे व्यय हो चुका है एवं ओर अधिक राशि व्यय की संभावना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व खर्च का अनुमोदन तथा आगे व्यय हेतु सहयोग देने की अपील की गई। जिसपर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन किया।

13. अवरुद्ध प्रोन्नति के संबंध में अध्यक्ष, बासा द्वारा बताया गया कि **Combined Service Association** के माध्यम से हम सब **I.A Case file** किया है लेकिन अभी तक **Case Pending** है उनके द्वारा बताया गया कि सामान्य प्रशासन एवं मुख्य सचिव महोदय को इस संबंध में कई बार अनुरोध किया गया उनके द्वारा **Case** का हवाला देकर प्रोन्नति को वाधित होने की बात की

गयी। एसोसिएशन विधान मंडल तथा सरकार के माध्यम से बंद प्रोन्नति को चालू करने की मांग कर रहा है, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे है। एसोसिएशन पुनः सभी संगठनों की एक बैठक पर सरकार पर दबाब बनाने का प्रयास करेगा।

14. अध्यक्ष महोदय द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली, 46वीं एवं 47वीं बैंच को पुराने पेंशन योजना के लाभ देने, बिहार प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति, गैर राज्य प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति तथा एक ही बैंच के पदाधिकारी के वेतनमान में अन्तर इत्यादि पर बासा द्वारा दिए गए Representation तथा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों की जानकारी दी गई। कार्यकारणी समिति की अगली बैठक में नए सदस्यों के जो भी मुद्दे है उनसे प्राप्त कर उन पर गंभीर चर्चा कर निर्णय लिये जाने एवं इस मामले में ठोस कार्रवाई किये जाने पर सर्वसम्मति बनी।

15. महासचिव द्वारा अंत में कार्यकारिणी समिति को संबोधित करते हुए कार्यकारिणी समिति एवं समस्त सदस्यों को बासा के इस कठिन दौर में एसोसिएशन के साथ जिस तरह चट्टानी एकता दिखाया गया, जिस प्रकार एसोसिएशन को आर्थिक मदद दी गई तथा एसोसिएशन का मनोबल हमेंशा उच्च रखा गया उसके लिए एसोसिएशन के पदधारक सभी सदस्यों का कोटि–कोटि अभार, दिल की गहराईयों से कृतज्ञता ज्ञापित करते है एवं सभी को साधुवाद देते है।

16. अतं में **अध्यक्ष महोदय** द्वारा अपने संबोधन में कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद दिया साथ ही कठिन समय में सदस्यों ने जिस धैर्य एवं निष्ठा के साथ एसोसिएशन का साथ दिया उसके लिए अभार प्रकट किया उन्होने कहा कि एसोसिएशन तथा सदस्य हित में जो भी कठोर निर्णय लेना पडेगा हम सब तैयार है। यदि सदस्यों से सुझाव एवं सलाह सापेक्ष तथा सकारात्मक रुप से मिलते रहे तो आपके इस सहयोग से एसोसिएशन में हमेशा नई उर्जा का संचार बना रहेगा। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया की जो भी सुझाव/मांग हो उसे एसोसिएशन के basassociationbihar@gmail.com पर उपलब्ध कराया ताकि संघ उसपर ससमय एवं सार्थक कार्रवाई कर सके।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

23/07/23
महासचिव
बासा

अध्यक्ष
बासा